परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ

संख्या–1157एलएएस/07–71एलएएस/2007 दिनांक 30 मार्च :2007

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।
2–समस्त सहायक विधि अधिकारी/स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–<u>अनुबंधित बस से दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न दुर्घटना वादों में बस मालिक (बीमा कम्पनी) को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में ।</u>

प्रायः यह देखा जा रहा है कि अनुबंधित बस से दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना वादों में याची द्वारा मात्र परिवहन निगम को पक्षकार बनाया जाता है तथा अन्य आवश्यक पक्षकार जैसे बस मालिक, बीमा कर्ता एवं बस चालक को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, जिसके कारण मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण द्वारा निगम के विरूद्व एवार्ड पारित कर दिये जाते हैं। यह स्थिति न केवल आपत्तिजनक बल्कि निगम हितों के प्रतिकूल भी है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अनुबंधित बस की दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले वादो में निगम की ओर से दाखिल किये जाने वाले लिखित कथन में आवश्यकतानुसार बस मालिक, बीमा कर्ता एवं बस चालक को अवश्य ही पक्षकार बनाये जाने की प्ली ली जाय। इसके अतिरिक्त पृथक रूप से भी तत्संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपेक्षित कार्यवाही कराने का पूर्ण प्रयास किया जाय। यदि प्रार्थना–पत्र पर निगम के विपरीत आदेश पारित होता है तो मुख्यालय से अनुमति लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

उपरोक्तानुसार कड़ाई से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

30/3

(डी0के0 गुप्ता)
अपर प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>–1–प्रधान प्रबन्धक(कार्मिक), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ ।
2–प्रधान प्रबन्धक(बस स्टेशन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ ।

30/3/07

(डी0के0 गुप्ता)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com